न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	09/24	2024/17	20.03.2024	हरमोहन बनाम लैण्ड होल्डर वजीरपुर	28.11.2025	1 लगायत 3

1 हरमोहन पुत्र रामखिलाड़ी जाट आयु 74 वर्ष निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।

——– अपीलार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।
2. अर्जुन पुत्र सीताराम जाटव निवासी वजीरपुर। – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द्र शर्मा

रेस्पोडेन्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री बाबूलाल गुप्ता

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील ग्राम वजीरपुर के नामान्तकरण सं0 2594 दिनांक 27.02.2024 वाके ग्राम वजीरपुर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 2594 दिनांक 27.02.2024 द्वारा ग्राम वजीरपुर में स्थित अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 1319 रकबा 4.08 है0 हिस्सा 1/8 का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं0 2 व किरोड़ी पुत्र कुन्दन ने नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार सरकार व रेस्पोडेन्ट सं0 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलार्थी की भूमि हाल ख0नं0 1319 रकबा 4.08 है0 ग्राम वजीरपुर तहसील वजीरपुर में स्थित है। इस भूमि में प्रार्थी का हिस्सा ... है। प्रार्थी ने इस भूमि का किसी भी व्यक्ति के हक में रजिस्टर्ड विक्रय नहीं किया है ... भूमि का दिनांक 27.02.2024 का

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

नामान्तकरण सं0 2594 किरोडी पुत्र कुन्दन व अर्जुन पुत्र सीताराम जाटव के नाम तहसीलदार वजीरपुर रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने तस्दीक कर दिया। आलोच्य नामान्तकरण विधि एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। पटवारी हल्का मानसिंह मीना ने अपनी पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2024 में लिखा है कि श्रीमानजी मुताबिक पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। इस रिपोर्ट बाबत् कोई जांच न कर दिनांक 27.02.2024 को ही नामान्तकरण ,तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता तहसीलदार ने स्वीकृत कर दिया। जबकि उसी दिन क्या जांच की गयी। इसका कोई हवाला नहीं है। इस प्रकार नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। नामान्तकरण तस्दीक होने के लिए यह स्पष्ट नियम है कि 45 दिन तक अवधि में नामान्तकरण खोलने का ग्राम पंचायत को अधिकार होता है। इसलिये नामान्तकरण वास्ते जांच ग्राम पंचायत को भेजा जाता है, यदि इस अवधि में नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जाता है तो उस नामान्तकरण को ग्राम पंचायत से वापस मगवाकर तहसीलदार तस्दीक करता है। इसलिये नामान्तकरण स्वीकृत करने का तहसीलदार को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। ऐसी स्थिती में नामान्तकरण शून्य होने से निरस्तनीय है। पटवारी हल्का व तहसीलदार ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि किरोड़ी पुत्र कुन्दन जीवित है या नहीं। किरोडी की मृत्यु एक अर्से पूर्व हो चुकी है फिर भी उसके हक में नामान्तकरण भर कर तस्दीक करने में भारी कानूनी भूल की है। जिस विक्रय के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है, उसमें ग्राम श्यारौली का होना दर्ज है। जबकि नामान्तकरण वजीरपुर की भूमि का है इस प्रकार यह नामान्तकरण भिन्न गांव की भूमि का होने के कारण निरस्तनीय है, साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 2594 दिनांक 27.02.2024 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम वजीरपुर में स्थित भूमि खं0नं0 खं0नं0 1319 रकबा 4.08 है0 जरिये रजिस्टर्ड अर्जुन व किरोडी को बेचान की गई है। उक्त भूमि पर रहन दर्ज होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तकरण तत्समय तस्दीक नहीं हो सका। उक्त भूमि रहन मुक्त होने पर तत्कालीन पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा विवादित नामान्तकरण तस्दीक किया गया, जो पूर्णरूपेण विधि अनुरूप है। यदि उक्त विक्रय पत्र में किसी प्रकार का विवाद था तो अपीलार्थी को [illegible] न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिए था, साथ ही विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 2594 दिनांक 27.02.2024 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarsham Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा प्राप्त विवादित नामान्तकरण के अनुसार पटवारी हल्का मानसिंह मीना द्वारा दिनांक 27.02.2024 को 16:19:45 बजें उक्त नामान्तकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मुताबिक पंजिकृत विक्रय लेख नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है तथा राजस्व अधिकारी (तहसीलदार वजीरपुर) द्वारा दिनांक 27.02.2024 को 16:42:44 बजें पटवारी रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया, अर्थात मात्र 23 मिनट में उक्त नामान्तकरण की जांचकर नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत पंजिकृत विलेख का अवलोकन किया गया। पंजीकृत विलेख के अनुसार अपीलार्थी द्वारा खाता सं0 79 में से खसरा नम्बर 1319 रकबा 4.08 में से अपीलार्थी का हिस्सा 1/8 हिस्सा वाके ग्राम श्यारौली का किरोड़ी उम्र 45 साल पुत्र कुन्दन व अर्जुन उम्र 25 साल पुत्र सीताराम जाती जाटव कों दिनांक 20.07.89 को बेचान किया गया है। उक्त पंजीकृत विलेख दिनांक 20.07.89 का है। जिसके अनुसरण में तहसीलदार वजीरपुर द्वारा दिनांक 27.02.2024 को नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अर्थात 34 वर्ष पश्चात् नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त पंजीकृत विलेख में अपीलार्थी की भूमि ग्राम श्यारोली में होना अंकित है, लेकिन तहसीलदार वजीरपुर द्वारा ग्राम वजीरपुर में स्थित भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपनी अपील में अंकित किया है कि किरोड़ी पुत्र कुन्दन को फौत हुए काफी समय हो चुका है , जिस क्रम में रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा भी अपनी कोई आपत्ति मौखिक/लिखित प्रस्तुत नहीं की है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तहसीलदार व पटवारी हल्का केतागण किरोडी पुत्र कुन्दन जीवित है अथवा नहीं के संबंध में पुनः स्पष्ट जांच करे बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है। इस प्रकार विवादित नामान्तकरण किसी भी दशा में न्यायोचित एवं विधिपूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा तहसीलदार वजीपुर द्वारा पंजीकृत लेख में अंकित ग्राम व केतागण वर्तमान में जीवित है अथवा नही? इस संबंध में गहराईसे समुचित जांच किए बिना ही मांत्र 23 मिनट में तस्दीक किया गया नामान्तकरण कार्यवाही कार्यवाही प्रथमतः ही विधि शून्य होने से निष्प्रभावी है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 2594 दिनांक 27.02.2024 वाके ग्राम वजीरपुर निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को पृथक से राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्ती हेतु प्रेषित की जाकर पालना रिपोर्ट आगामी सात दिवस में न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे, साथ ही तत्समय नामान्तकरण हेतु उत्तरदायी तहसीलदार/पटवारी हल्का के नाम, पद, वर्तमान पदस्थापन की जानकार सहित आरोप पत्र पृथक से तैयार कर तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.03 17:33:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी